

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 12.09.2025

धोखाधड़ी व कूटरचना द्वारा कम जमीन के अधिक बताकर कई लोगों को बैनामा करने व करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी के नेतृत्व में 30नि0 जयराम यादव मथ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/2025 धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. दिनेश सिंह 2. युवराज सिंह व अभियुक्ता 3. मीना सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचना द्वारा अपनी कम जमीन को अधिक बताकर कई लोगों को बैनामा किया गया तथा करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी की गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दिनेश पुत्र बन्शू सिंह निवासी ग्राम खजुरी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. युवराज सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम खजुरी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. मीना सिंह पत्नी दिनेश सिंह निवासी ग्राम खजुरी थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 300/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 जयराम यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. कां0 अतुल कुमार थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. म0का0 प्रतिमा यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर